फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
राणाराम पुत्र सोनाराम, जाति मेघवाल, निवासी रूपासरीया, तहसील शिव जिला बाड़मेर		निम्बाराम पुत्र सोनाराम जाति मेघवाल, निवासी रूपासरीया तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (08)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) मुकदमा नम्बर 115/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.03.2025	प्रार्थी अधिवक्ता श्री **नरेन्द्रसिंह सियाग** द्वारा यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 04 की संयुक्त अविभाजीत खातेदारी का खेत मौजा रूपासरीया पटवार मण्डल भीयांड के खसरा नम्बर 1090/946 रकबा 9.1540 हैक्टयर भूमि के आये हुए हैं। उक्त विवादीत आराजी में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा बनता है। प्रार्थी विवादीत आराजी के रेकर्डेड खातेदार होने तथा मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। वर्तमान में विप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के खातेदारी हिस्सा एवं कब्जा काश्त में दखलदांजी पैदा की जाकर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर पारिवारीक विभाजन के विपरीत मौका एवं रेकर्ड में परिवर्तन करने पर आमदा है तथा उसे बेदखल करने की धमकियां दी जा रही है, जबकि विप्रार्थीगण को एसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तथा प्रार्थीगण के खातेदारी हिस्सा व कब्जा काश्त में बलपूर्वक प्रवेश कर स्वयं या अन्य से प्रार्थीगण को बेदखल किया जाता है या भूमि का बेचान किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षति [illegible] भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती है। [illegible] प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन [illegible] सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के [illegible] रुद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी/ हंस्तक्षेप नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादर फरमाई जावें।	रजिस्टर्ड AD 5369-5376 26.03.25

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:53:49 IST
Reason: SelfAttested